

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम धन्नी देवी पत्नी भोलूराम  
जाट श्रवणपुरा

प्रा.पत्र नम्बर 180 / 2021

GCMS No.2021/218

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख में  
जारी हुए

30.07.2021

वकील अप्रार्थीया के आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम श्रवणपुरा के खसरा नम्बर 751/633 रकबा 0.2550 हैक्टर किस्म चाही प्रथम खातेदारी की आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण की कार्यवाही नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रक्रियाधीन है, जिसके समर्थन में नगरपालिका कुचामनसिटी के पत्रांक/नपाकु/2021-22/867 दिनांक 28.06.2021 की छाया प्रति तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा जारी पत्र 1239 दिनांक 05.07.2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण में कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थीया शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)

